(3)

जिला योजना

संख्याः–1905/III(2)/11–05(बजट)/2011

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

,सेवा मे,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 18 अप्रैल, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में स्वीकृत सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय जिला तथा अन्य सड़कें जिला योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव वित्त अनुभाग–1,उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या– 209/XXXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 तथा मुख्य अभियन्ता स्तर–1, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्र सं0:– 16/08 बजट (जिला योजना)/2011–12 दिनांक 08 अप्रैल, 2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय जिला तथा अन्य सड़के जिला योजना (आयोजनागत) मद में ₹ 7000.00 लाख (₹ सत्तर करोड़ मात्र) की धनराशि को संलग्न कॉलम–8 के विवरणानुसार, व्यय हेतु,** आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः

2– वितरण अधिकारी (जिलाधिकारी) के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर –116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर –128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संहत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और यदि नियमित रूप से सरकार /शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर मात्राकृत आयोजनागत परिव्यय के अनुसार योजनाओं में व्यय अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जायेगा ।

4– स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में जनपदवार एवं कार्यवार फांट करके नियमानुसार बजट सम्बन्धित प्राधिकारी को एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जायेगा ।

5– उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर किया जायेगा तथा मासिक आवश्यकतानुसार तीन सामान्य किस्तों में कोषागार से आहरण किया जायेगा, योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग एवं विगत वर्ष स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जाएगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी होगें ।

6– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय क्योंकि इस प्रकरण के कार्य वार्षिक आधार पर स्वीकृत किये जाते है तथा 18 माह में पूर्ण होने वाले कार्यों में अनुमानित लागत के बाद किसी प्रकार की बढ़ोतरी का प्राविधान नहीं है।

7– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना में जनपदवार अनुमोदित प्लान आलेख एवं योजना के अनुसार ही धनराशि का आहरण एवं उपयोग तत्काल आवश्यकता के आधार पर किया जाये।

9– मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिला योजना का समयबद्व एवं गुणवत्तायुक्त मानक के अधीन किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

10– इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के क आय–व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़के– आयोजनागत–800–अन्य व्यय –91 जिला योजना– 00–24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0:– 209/XXXVII(1) / 2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्याः– 1905 (1)/ III(2)/11–05(बजट)/2011, तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल/कुमांयू मण्डल, पौड़ी/नैनीताल ।
3– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।
4– मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमांयू क्षेत्र लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा ।
5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या– 1905 / III(2)/11–05(बजट)/2011, दिनांक 18 अप्रैल, 2011 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0:–22 के लेखाशीर्षक– 5054
जिला योजना (मार्ग/सेतु/पूल्ड आवास भवन) कार्यों हेतु प्रस्तावित धनाबंटन ।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	मार्ग/सेतु कार्य हेतु स्वीकृत परिव्यय	पूल्ड आवास भवन कार्य हेतु स्वीकृत परिव्यय	कॉलम सं0 03 एवं 04 का योग	मार्ग/सेतु कार्य हेंतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	पूल्ड आवास भवन कार्य हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	कुल अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नैनीताल	723.18	15.00	738.18	577.07	11.97	**589.04**
2.	ऊधमसिंह नगर	898.96	110.00	1008.96	717.33	87.78	**805.11**
3.	अल्मोड़ा	571.50	93.00	664.50	456.03	74.21	**530.24**
4.	पिथौरागढ़	528.35	30.00	558.35	421.60	23.93	**445.53**
5.	बागेश्वर	610.00	50.00	660.00	486.76	39.90	**526.66**
6.	चम्पावत	345.42	77.93	423.35	275.63	62.20	**337.83**
7.	देहरादून	485.64	-	485.64	387.52	-	**387.52**
8.	पौड़ी	492.00	250.00	742.00	392.60	199.50	**592.10**
9.	टिहरी	696.47	-	696.47	555.76	-	**555.76**
10.	चमोली	615.00	-	615.00	490.74	-	**490.74**
11.	उत्तरकाशी	670.85	40.00	710.85	535.30	31.91	**567.21**
12.	रूद्रप्रयाग	466.10	-	466.10	371.92	-	**371.92**
13.	हरिद्वार	909.00	94.00	1003.00	725.34	75.00	**800.34**
	योग :–	**8012.47**	**759.93**	**8772.40**	**6393.60**	**606.40**	**7000.00**

(₹ सत्तर करोड़ मात्र)

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।